

2232/10/11-11  
20-9-2017

- आदेश -

जनपद चमोली के अन्तर्गत तेफना-कण्डारा-चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.307 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.614 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/62/2016/एफ०सी०/1463 दिनांक 16.12.2016 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत तेफना-कण्डारा-चटिंग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.307 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम सुनाली प०वृ० मंगरोली तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-06 के खसरा सं०-1458 रकबा 1.720 है० भूमि मध्ये 1.600 है० एवं खसरा सं०-1456/1549 रकबा 11.033 है० भूमि मध्ये 1.014 है० भूमि अर्थात कुल 2.614 है० भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),  
जिलाधिकारी,  
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 5969/छब्बीस-32 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: 13 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, कर्णप्रयाग।

कर्म/एन०

*[Handwritten signature]*

Ne-2690/10LA No 219/2017  
प्रतिलिपि संख्या 0 (आ०/आ०/आ०/आ०)।  
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


*[Handwritten signature]*  
जिलाधिकारी,  
चमोली।




क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

परियोजना का नाम:-मा.मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयागमें शहीदभगत सिंह मार्ग(तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी० 3.00 से चटिंग्याला-कोटी,नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला-कण्डारा मोटरमार्ग के किमी० 16.00 तक मोटरमार्ग का नवनिर्माण।

उपरोक्त योजना हेतु वनविभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि का चयन कर लिया गया है तथा मार्ग निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एव वनमंत्रालय की सैद्धान्तिक स्वीकृति मिलने पर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर ली जायेगी। खसरा नम्बर 1458 एवं 1456/1549 क्षतिपूरक स्थल हेतु दिया जाता है।

  
अधिसूची अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

  
जिलाधिकारी  
चमोली

परियोजना का नाम:-मा.मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग(तेफना-कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी० 3.00 से चटिंग्याला-कोटी,नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के किमी० 16.00 तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण ।

### क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का विवरण

NZA श्रेणी 3-ड अन्य कृषि योग्य बंजरभूमि

क्र०सं०	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	वृक्षारोपण हेतु लिया गया क्षेत्रफल(हे० में)
1	सुनाली	1458	1.600 हे०
		1456 / 1549	1.014 हे०
	सम्पूर्ण योग:-		2.614 हे०

अमीन  
लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

कमिष्ठअभियन्ता  
प्रा० ख० लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

सहायकअभियन्ता  
प्रा० ख० लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

अधिसूत्रीअभियन्ता  
प्रा० ख० लो०नि०वि०  
कर्णप्रयाग

रु०का०  
चमोली

16.6.16

जिला अधिकारी  
चमोली

उप जिलाधिकारी  
कर्णप्रयाग  
17.6.16